24

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0(स0पु0/पीएसी)2018/837 दिनांक:लखनऊ:मई 24 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्या:पीएसी–1–निर्देश/2018/1373 दिनांक:15–05–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से के माध्यम से पीएसी से जनपद सशस्त्र पुलिस एवं जनपद सशस्त्र पुलिस से पीएसी में स्थानान्तरण किये जाने की विभागीय नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक:22–04–2019 को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुई गोष्ठी में हुये विचार–विमर्श एवं दिनांक: 29–04–2019 को पीएसी मुख्यालय में पीएसी कर्मियों के सुझाव के सम्बन्ध में आयोजित गोष्ठी में संज्ञान में आये तथ्यों को समाहित करते हुये संशोधित स्थानान्तरण नीति पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति में आशिंक संशोधनोपरान्त निम्नवत स्थानान्तरण नीति का अनुमोदन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है :–

स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही :–

- पी0ए0सी0 में उपलब्धता के दृष्टिगत उपनिरीक्षक स0पु0/प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी स0पु0/पीएसी व आरक्षी स0पु0/पीएसी को पीएसी मुख्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनपदीय सशस्त्र पुलिस/इकाईयों में स्थानान्तरण हेतु संख्या निर्धारित की जायेगी।
- उपनिरीक्षक स0पु0 व मुख्य आरक्षी पीएसी/स0पु0 को पीएसी से जनपदीय पुलिस/इकाईयों में वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा तथा आरक्षी पीएसी/स0पु0 को पीएसी से जनपदीय पुलिस/इकाईयों में उनके आयु वर्ग की वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरण पीएसी से जोन/विभागाध्यक्ष में पीएसी स्थापना बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
- विभागाध्यक्ष/जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा इन कर्मियों को नियतन/उपलब्धता/रिक्ति के सापेक्ष परिक्षेत्र/इकाईयों को आवंटित किया जायेगा।
- परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा इन कर्मियों को नियतन/उपलब्धता/रिक्ति के सापेक्ष जनपदों में नियुक्त किया जायेगा।
- सशस्त्र पुलिस के कर्मियों को पूर्व की भांति परिक्षेत्र स्तर पर परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड एवं जोन स्तर पर जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा।
- जोन के बाहर अथवा जनपदीय सशस्त्र पुलिस से पीएसी में स्थानान्तरण की कार्यवाही पीएसी स्थापना बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- **प्रशासनिक आधार पर लोक हित/विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत/अनुकम्पा के आधार पर किसी भी उ0नि0 स0पु0, मुख्य आरक्षी स0पु0, अथवा आरक्षी को किसी भी समय पीएसी स्थापना बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पीएसी में स्थानान्तरित किया जा सकता है।**

1– उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस

- उपनिरीक्षक स0पु0 का एक जनपद में **(नान पीएसी इकाइयों सहित)** नियुक्ति का **कार्यकाल 04 वर्ष** से अधिक नहीं होगा किन्तु कोई भी उपनिरीक्षक स0पु0 जनपदीय सशस्त्र पुलिस, इकाईयों एवं पीएसी वाहिनी को जोड़कर एक जनपद में **08 वर्ष** से अधिक नहीं होगा।
- उपनिरीक्षक स0पु0 को उनके गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- उपनिरीक्षक स0पु0 से निरीक्षक स0पु0 के पद पर पदोन्नति होने पर उनकी नियुक्ति अनिवार्य रूप से पीएसी में की जायेगी।

2– मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी

- मुख्य आरक्षी स0पु0 का एक जनपद में **(नान पीएसी इकाइयों सहित)** नियुक्ति का **कार्यकाल 08 वर्ष** से अधिक नहीं होगा किन्तु कोई भी मुख्य आरक्षी स0पु0 जनपदीय सशस्त्र पुलिस इकाईयों एवं पीएसी वाहिनी को जोड़कर एक जनपद में **15 वर्ष** से अधिक नहीं होगा।
- मुख्य आरक्षी स0पु0 को उनके गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- मुख्य आरक्षी स0पु0 से उप निरीक्षक स0पु0 के पद पर पदोन्नति होने पर उनकी नियुक्ति अनिवार्य रूप से पीएसी में की जायेगी, जो पीएसी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही जनपदीय सशस्त्र पुलिस में स्थानान्तरण हेतु अर्ह होगा।

2– आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी

- पी0ए0सी0 में भर्ती के उपरान्त 32 वर्ष की आयु के बाद जनपद/इकाई में स्थानान्तरण हेतु अर्ह होगें।
- निम्नानुसार विभिन्न आयु वर्गो में से यथा सम्भव कान्सटेबिल की तैनाती जनपदीय सशस्त्र पुलिस/इकाईयों में की जायेगी :–

(1) आयु 32 वर्ष से अधिक एवं 39 वर्ष तक	–	25 प्रतिशत
(2) आयु 39 वर्ष से अधिक एवं 46 वर्ष तक	–	25 प्रतिशत
(3) आयु 46 वर्ष से अधिक एवं 53 वर्ष तक	–	25 प्रतिशत
(4) आयु 53 वर्ष से अधिक	–	25 प्रतिशत

- आयु की गणना स्थानान्तरण के कैलेण्डर वर्ष के **जनवरी 01 को** की जायेगी।
- आरक्षी स0पु0 का एक जनपद में **(नान पीएसी इकाइयों सहित)** नियुक्ति का कार्यकाल **10 वर्ष** से अधिक नहीं होगा किन्तु कोई भी आरक्षी स0पु0 जनपदीय सशस्त्र पुलिस इकाईयों एवं पीएसी वाहिनी को जोड़कर एक जनपद में **20 वर्ष** से अधिक नहीं होगा।
- आरक्षी स0पु0 को उनके गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

3– सामान्य निर्देश :–

- कोई भी सशस्त्र पुलिस कर्मी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में नान पीएसी यथा जनपदीय पुलिस, यातायात पुलिस, बी0डी0एस0, सुरक्षा शाखा आदि को जोड़कर 20 वर्ष से अधिक नियुक्त नहीं सकेगा।

- आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक स0पु0 के पद पर पी0ए0सी0 से जिला सशस्त्र पुलिस/इकाई में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेगें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, तो आयु के अनुसार ज्येष्ठता सूची तैयार करके आयु में वरिष्ठतम कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार रिक्तियों को ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे पीएसी आरक्षी, मुख्य आरक्षी व उपनिरीक्षक से भरा जायेगा, जिन्हें :–
  - (1) विगत 03 वर्षो में जिनकी सत्यनिष्ठा न रोगी गई हो,
  - (2) विगत 03 वर्षो में जिन्हें उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियेां की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत बृहद दण्ड न दिया गया हो,
  - (3) विगत 02 वर्षो में जिन्हें उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियेां की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम14(2) के अन्तर्गत को लघु दण्ड न दिया गया हो,
  - (4) विगत 03 वर्षो में जिन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो,
  - (5) विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोग में जिन्हें कोई आरोप पत्र न दिया गया हो,
- आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक स0पु0 के पद पर पी0ए0सी0 से जिला सशस्त्र पुलिस/इकाई में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों के चयन/स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के उपरान्त, यदि इनमें से कोई कर्मी पीएसी से जनपदीय सशस्त्र पुलिस/इकाई में स्थानान्तरण पर न जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसका चयन/स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर उसे अगले तीन वर्ष के लिये पीएसी से जनपदीय सशस्त्र पुलिस/इकाई में स्थानान्तरण से वंचित कर दिया जायेगा तथा इसका अंकन उसके सेवाभिलेखों में करा दिया जायेगा।
- जनपदीय सशत्र पुलिस/इकाईयों हेतु निर्धारित संख्या से कम संख्या में इच्छुक कर्मियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, पीएसी स्थापना बोर्ड द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाले वरिष्ठतम कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर किया जा सकता है।
- पी0ए0सी0 से जिला/इकाईयों में स्थानान्तरण होने पर आरक्षी व मुख्य आरक्षी को 04 सप्ताह का इण्डक्शन कोर्स (Induction course) कराया जायेगा, जिसमें में खासतौर पर निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा :–

  (क) स्टेटिक गार्ड, बन्दी स्कोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड, खजाना गार्द, परिसर की सुरक्षा, निजी सुरक्षा, आरमरी की सुरक्षा एवं तद् विषयक विधान/प्रकिया।

  (ख) हेड कान्सटेबिल को उपर्युक्त(1) के अतिरिक्त स्टोर कीपिंग तथा भण्डार कय का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

  (ग) उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक को पुलिस लाइन के प्रबन्धन व्यवस्था विषय में 06 सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

  (घ) इस कोर्स का पाठ्यकम अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उत्तर प्रदेश द्वारा **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से** निर्धारित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसमें अन्य विषयों को सम्मिलित कर सकते हैं। प्रशिक्षण अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उ0प्र0 द्वारा अपने अधीन पीएसी वाहिनियों में कराया जायेगा।
- निरीक्षक स0पु0 के सम्बन्ध में पूर्व से निर्धारित प्रकिया का ही पालन किया जायेगा।

- सशस्त्र पुलिस के किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी के सम्बन्धित जनपद में कार्यकाल की गणना करते समय उसके पूर्व में सभी पदों पर सम्बन्धित जनपद में जनपदीय शाखा, इकाइयों यथा जनपदीय पुलिस, यातायात पुलिस, बी0डी0एस0, सुरक्षा आदि/पीएसी आदि में की गयी सेवा को जोड़ा जायेगा।
- उपरोक्त निर्धारित नीति/मानकों के इतर यदि किसी उपनिरीक्षक स0पु0, मुख्य आरक्षी स0पु0 अथवा आरक्षी को गम्भीर बीमारी/कर्तव्य पालन के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप दिव्यांगता आदि अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिलता की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उसके सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित उपरोक्त स्थानान्तरण नीति को सर्वसम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्गत करते हुये अनुमोदित स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही सम्बन्धित कर्मियों के स्थानान्तरण एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(रामकृष्ण भारद्वाज)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशासन
कृते अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।